फर्द अहकाम
(नियम 26)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- सुखदेव प्रसाद चोयल पुत्र रामधन चोयल उम्र करीबन 34 साल व अन्य निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज । –प्राथीगण

बनाम

- गोपाल पुत्र रतन जाति बैरवा निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर **30** /2024

ऑनलाइन नंबर **2024** / 40

वकील प्रार्थी :– रामदेव गुर्जर (जितेन्द्र शर्मा) **वकील अप्रार्थीगण**..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. / अप्रार्थी संख्या 74, 66, 39, 20 उप. / अप्रार्थी 06, 07, 08, 09 10, 15 की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा उप होकर वकालतनामा पेश किया जो शा. कि. / शेष P.O. का इन्तजार है बाद पत्रावली दिनांक 21/06/2024 को पेश हो	(74) [signature] (66) [thumb impression] अंगूठा नि. रामदीन (39) [signature]
21/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के Reg AD के रसीद पेश किया जो शा. कि. / शामिल अप्रार्थी 74, 39, 42, शैतान बरजी व अन्य की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 17/7/2024 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	(20) [illegible]

28/3/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित।
P.O. साहब मुकाम कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 5/4/25 को पेश हो।

5/4/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित।
P.O. साहब मुकाम कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..............
दिनांक 9/5/25 को पेश हो।

9/5/25 पत्रावली पेश हुई अतः बार निलम्बन
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 को
पेश हो।

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी से
1 से 77 अनु०। वकील प्रति० अनु०। न्यायालय समय पर
क्रम-क्रम पर तीन बार आवाजें लगाई गई किन्तु
प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतः प्रतिवादी गण
1 लगायत 77 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु
दिनांक 22/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

22/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उप०।
पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक
29/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

29/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील परिवादी उप०।
वकील परिवादी की बहस सुनी गई। बाद
बहस निर्णय किया जाता है। निर्णय पृथक से
तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नाजिर ले जमा हो।

WB
उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2024 उनवान सुखदेव बनाम गोपाल

1. सुखदेव प्रसाद चोयल पुत्र रामधन चोयल उम्र करीबन 34 वर्ष
2. संतरा देवी पत्नि सुखदेव प्रसाद चोयल उम्र करीबन 32 वर्ष

सर्व जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रतन
2. राजू पुत्र रतन
3. शिवराज पुत्र रतन
4. सुरेश पुत्र रतन

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

5. गोगा पुत्री सूरजकरण
6. दाखा पत्नि लालाराम
7. नाथू पुत्र सूरजकरण
8. पारा पत्नि सुगना
9. बदाम पत्नि श्योचन्द
10. मनफूल पत्नि श्योजीराम
11. मनफूल पुत्री सूरजकरण
12. लादू पुत्र सूरजकरण
13. समोतरा पुत्री सूरजकरण
14. सोहनी पुत्री सूरजकरण

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम चुरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

15. रामकन्या पत्नि हनुमान जाति बैरवा निवासी ग्राम धौलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
16. उमराव पुत्र रामदयाल
17. कंचन पुत्री हगामा
18. कमला पत्नि रामेश्वर
19. करतार पुत्र सुगना
20. कैलाश पुत्र रामधन
21. काना पुत्र विजयकरण
22. कानी पत्नि हगामा
23. कालू पुत्र सुगना
24. कालू पुत्र रामेश्वर
25. काली पुत्री विजयकरण
26. काली पुत्री रामधन
27. कोपन लक्ष्मण
28. गोपाल पुत्र लक्ष्मण
29. गोपाल पुत्र सुगना
30. गोरधन पुत्र रिद्वकरण
31. घमला पत्नि नरायण
32. घोटिया पुत्री घीसा
33. जगदीश पुत्र हगामा
34. जतन पापडिया पुत्र भागचंद
35. नन्दू पत्नि विजयकरण
36. नन्दराम बटेसर पुत्र लक्ष्मण
37. नेराज पुत्री रामेश्वर
38. नारायण पुत्र उदा

wp

39. प्रधान पुत्र हगामा
40. प्रेम पुत्री तेजू
41. परमेश्वर पुत्र घीसा
42. प्रलार्द उर्फ प्रहलाद पुत्र हरकरण
43. पांचू पुत्र रिद्वकरण
44. पिंकी पुत्री रामेश्वर
45. फूतर पत्नि रामधन
46. बद्री पुत्र रामनारायण
47. बदाम पत्नि सुगना
48. बन्ना पुत्र रिद्वकरण
49. बन्ना पुत्र हकरण
50. बरजी पत्नि रिद्वकरण
51. भंवरी पुत्री घीसा
52. मुखराम पुत्र रामदयाल
53. मंगल पुत्र सुगना
54. मंगलाराम पुत्र हगामा
55. मैना पत्नि रणजीत
56. मनोहर पुत्री सुगना
57. ममता पुत्री श्योजी
58. मानी पत्नि रामधन
59. रतनलाल पुत्र रामदयाल
60. रतना पुत्र नाथू
61. रतनी देवी पत्नि हरकरण
62. रसाल पत्नि घीसा
63. राकेश पुत्र रामेश्वर
64. राकेश चोयल पुत्र श्योजी
65. रामचरती पत्नि श्योराम
66. रामदीन पुत्र सुजा
67. रामधन पुत्र रंगलाल
68. रामराज पुत्र रामदयाल
69. रामसुख पुत्र बच्छराज
70. विश्राम पुत्र रामधन
71. शंकर पुत्र घीसा
72. शम्भू चौधरी पुत्र राजेन्द्र कुमार चोयल
73. समरथा पुत्र रामा
74. सुमित्रा पुत्री घीसा
75. सुरज्ञान पत्नि भागचन्द
76. हरकु पत्नि बच्छराज
77. हंसराज पुत्र रामधन

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान । सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

78. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 29/8/25

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रामदेव गूर्जर एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 24.5.2025को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं

चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है।

उत्तर :– खसरा नम्बर 2 गै० गु०रास्ता

दक्षिण :– खसरा नम्बर 8 अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 77 की सहखातेदारी की भूमि

पूर्व –खसरा नम्बर 2 गै०मु०रास्ता

पश्चिम खसरा नम्बर 4 (अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि) एवं खसरा नम्बर 5 (अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 15 की खातेदारी भूमि

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है।प्रार्थीगण संयुक्त रूप से ग्राम रघुनाथपुरा पटवार क्षेत्र कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 3 भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात. अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है।अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 77 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थीगण की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 3 का सीमाज्ञान किया गया जिसका मौका पर्चा दिनांक 16.05.2024 को तैयार किया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (गेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई, बुवाई के दिनो में प्रार्थीगण की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काफी परेशान है।प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 16.05.2024 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा किया गया परन्तु प्रार्थीगण की आराजी बाबत् सही नहीं करने से एवं प्रार्थीगण की नींव, सींव, मेड़ को लेकर विवाद करने से एवं प्रार्थीगण की आराजी में मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ एवं नींव, सींव से सम्बन्धित विवाद उत्पन्न होने से प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है।अप्रार्थी संख्या 78, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 77 प्रार्थीगण की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है, एवं खसरा नम्बर 8 के खातेदार रामेश्वर पुत्र उदा, व श्योजी पुत्र नाथू के फौत होने से एवं विरासतन नामान्तकरण नहीं खुलने से पक्षकार संयोजित नहीं किया गया । प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर भूमि की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

दिनांक 2.5.2024 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 14.6.2025 को अप्रार्थी संख्या 06,07,08,09,10,15 की ओर से वकील रामनिवास बैरवा ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 141 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 20.08.2024 को इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई ।

WR

दिनांक 20.8.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान की की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन आराजी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर भूमि है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 141 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान हैं। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की राजस्व ग्राम गुजरवाडा, पटवार हल्का गुजरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर खाता संख्या नया 131 पुराना 129 खसरा नं0 200 रकबा 0.7362 हे0, खसरा नं0 201 रकबा 0.2427 हे0, खसरा नं0 203 रकबा 3.3816 हे0 खसरा नं0 204 रकबा 0.3802 हे0 खसरा नं0 222 रकबा 0.0809 है0, खसरा नं0 223 रकबा 1.1973 है0 कुल खसरा 06 कुल रकबा 6.0189 हैक्टेयर कृषि आराज आराजी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं आराजी ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 3 रकबा 1.7474 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीटू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)